

कार्यालय:-वन परिसर पदाधिकारी, रामनगर परिसर, रामनगर वन प्रक्षेत्र।

पत्रांक:- 15 दिनांक :- 15-12-2025

सेवा में,

माननीय न्यायालय,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

व्यवहार न्यायालय, बेतिया।

विषय:- जलजीव मगरमच्छ को रस्सी के सहारे मोटर साइकिल पंजीयन संख्या-बी0आर022बी0जे0 संख्या-9232 में बंध कर घसीटने तथा सोसल मिडिया इस्टाग्राम पर अपलोड करने के संबंध में।

प्रसंग :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बेतिया वन प्रमण्डल, बेतिया का पत्रांक-3488 दिनांक 05/12/2025.

महाशय,

निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि दिनांक 19/10/2025 को करीब 11.40 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम माधोपुर बैरिया, थाना-गौनाहा, पश्चिम चम्पारण में कुछ ग्रामीण एक मगरमच्छ को पकड़े हुए है। सूचना प्राप्त होने के उपरांत मैं उसी तिथि को अधिनस्थ वनकर्मियों के साथ घटना स्थल पर गया तथा ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए मगरमच्छ को वन विभागीय अभिरक्षा में लेकर उसे गंडक नदी में स्वच्छंद विचरण हेतु विमुक्त कर दिया गया।

इसी बीच दिनांक 01/12/2025 को प्रमण्डलीय कार्यालय के ई-मेल एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बेतिया वन प्रमण्डल, बेतिया के Whatsapp पर aalokkumar4507 इसटाग्राम आईडी0 पर मगरमच्छ को मोटर साइकिल पंजीयन संख्या-बी0आर022बी0जे0 संख्या-9232 में बंध कर घसीटने, मगरमच्छ को चोटिल करते हुए नुकसान पहुँचाने तथा सोसल मिडिया इस्टाग्राम पर भीउज के लिए अपलोड, किया गया है। उपरोक्त प्रसांगिक पत्र द्वारा विडियो वायरल करने वाले अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई हेतु मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।

हमलों के छानबीन के क्रम में जलजीव मगरमच्छ को बुलेट मोटर साइकिल पंजीयन संख्या बी0आर022बी0जे0/9232 के चालक रवि कुमार मिश्रा उर्फ राजा बाबु वल्द श्री राजन मिश्रा, साकिन-माधोपुर बैरिया, वाड नं0-7, थाना-गौनाहा, पश्चिम चम्पारण, इस्टाग्राम पर विडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति की पहचान आलोक कुमार शर्मा वल्द स्व0 विश्वनाथ शर्मा, ग्राम- माधोपुर बैरिया, वाड नं0-7, थाना-गौनाहा,

परिचय चम्पारण है। इस घटना में अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इस अवैध अनैतिक कृत को किया गया है। वन्यजीव मगरमच्छ, भारत वर्ष में संकटापन्न प्रजाति के श्रेणी में है, सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) सशोधन 2022, अधिनियम 1972 की अनुसूची-1, खंड-4 के कम संख्या-1 पर अंकित है, जिसका अंग्रेजी नाम- Crocodile newt, तथा वैज्ञानिक नाम-Tylototriton verrucosus है। नामित ज्ञात अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वन्यजीव (संरक्षण), सशोधन 2022, अधिनियम 1972 की धारा-39,43,48क,49ख का उल्लंघन किया गया है।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त नामित ज्ञात/अज्ञात अभियुक्तों के बिरुद्ध वनवाद दर्ज करने की कृपा की जाय। वाद में जाँच सह अनुसंधान प्रतिवेदन भवदीय न्यायालय में अलग से प्रतिवेदित किया जायेगा।

अनु०:-यथोक्त/

श्रीमान का विश्वासी,

Jalshwan Mohata

15/12/25

वन परिसर पदाधिकारी,

रामनगर परिसर,

रामनगर वन प्रक्षेत्र।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार ।
जप्ती सूची

1. जप्ती की तिथि एवं समय :- शनिदिन एवं प्रायः तिथि: 14-12-25
2. जप्ती का स्थान :- माधोपुर बैरिया, ग्राम- बाना औनाहा. पंच-च.
3. अभियुक्त का नाम एवं पूरा पता :- (1) रवि कुमार मिश्रा दुर्गे गंगा बाघ वन्य जी
राजन मिश्रा मा० माधोपुर बैरिया वार्ड नं०-६
बाना- औनाहा के सम्पन्न
(2) आशाकु कुमार ब्रह्मा वन्य स्व-विश्वनाथ
मा० माधोपुर बैरिया वार्ड नं० ०३ नया-
औनाहा के सम्पन्न एवं अन्य
4. जप्ती का कारण :- * - * - * - * -
5. जप्त माल का कारण विवरण :- * - * - * - * -
6. जप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर :- वन परिसर पदाधिकारी रामनगर
Jalestwar Mohanta
14/12/25
7. गवाहों का नाम एवं पता :- (1) श्री आशीष कुमार वनरली
(2) श्री विष्णु कुमार वनरली
(3) श्री संतोष पासवान, वाहन चालक
(4) चम्पाकुमार ठंसरी वन रक्षक
(5) प्रियंका कुमार वनरली - विशेषज्ञ कुमारी
8. जप्त माल का जिम्मेवार
9. वन अधिनियम जिसके अन्तर्गत अपराध किया गया । :- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन 2022 भाई
1972 की धारा- 39, 43, 48क, 49ख, 49ग
उल्लंघन किया गया
10. वन अधिनियम जिसके अन्तर्गत जप्ती किया गया । :- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन 2022 अधिनियम
1972 की धारा 50 के तहत
11. अभ्युक्ति :

Forest Department, Bihar

वन विभाग, बिहार

Serial No. 611

Division : Bettiah Division, Bettiah
प्रमण्डल:- बेतिया वन प्रमण्डल, बेतिया

Note: This report to be submitted within 24 hours of the detection of the forest offence.

नोट : यह रिपोर्ट वन अपराध होने के 24 घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिए।

Offence Report No.....

Date..14/12/25

जुर्म नं०.....

तारीख.....

1. Place of Occurrence : माधौपुर जैरिया, ग्रा.प. गाँव 05/12, 70-244
घटना स्थल :2. Date and hour of detection : 14/12/25
पकड़ने का समय और तारीख :3. Name (S), parentage and : (1) रवि कुमार सिन्हा ठीक राज्य बाहु कान, 12 बज्र
residence of offenders : सिन्हा, सा. माधौपुर जैरिया, गाँव-7, ग्रा.प.
नाम अपराधी और उसके पिता : जैरिया, गा. - माधौपुर
का नाम और पता : (2) रामलाल कुशवाहा बामन कान, सा. सिन्हाबाग
सा. माधौपुर जैरिया, गाँव-7, ग्रा.प. 05/12
एक अपराधी सा. 05/124. Property seized, if any:
जप्ती माल अगर कोई :

- X - X -

5. Custody of seized property:
जप्ती माल का जिम्मेवार :

- X - X

6. Name (S), parentage and

residence of witness (es), if any :

नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता :

(1) श्री आशीष कुमार, बगरही
(2) श्री विक्रम कुमार, बगरही
(3) श्री संतोष कुमार, बाला माधौपुर
(4) कृष्णमूर्ति ठीरिया, पकड़ बज्र

7. Nature of offence and facts of the case :

तफसील और बयान जुर्म :

सैरा,

वन गार्ड 4 दलिया
सा. माधौपुर जैरिया
बागमारा



बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया-845438

(Mobile No. 9430891254, email address: dfo.bth@gmail.com)

पत्रांक- 3488 दिनांक- 05/12/2025

प्रेषक,

पंकज कुमार, बि00ब0से0
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया।

सेवा में,

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
बेतिया/बगहा/रामनगर
वन प्रक्षेत्र, बेतिया।

विषय:- इनस्टाग्राम पर मगरमच्छ को बुलेट मोटरसाईल (वाहन) से बांध कर घसितते हुये अपलोड किये गये विडीयों के संबंध में।

प्रसंग:- दिनांक-01.12.2025 को Ishani Rathee ईमेल आईडी irathee@petaindia के माध्यम से प्राप्त पत्र।

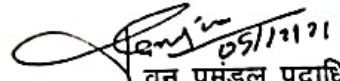
महाशय,

उपर्युक्त विषयक कम में सूचित करना है कि दिनांक-01.12.2025 को प्रमंडलीय कार्यालय के ई-मेल एवं अधोहस्ताक्षरी के Whatsapp पर aalokkumar4507 इनस्टाग्राम आई.डी. पर मगरमच्छ को बुलेट मोटरसाईल (वाहन) से बांध कर घसितते हुये अपलोड किये गये विडीयों इनस्टाग्राम आई.डी का छायाचित्र प्राप्त हुआ है उक्त मामला पश्चिम चम्पारण जिले से संबंधित है।

अतः इस पत्र के साथ प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति, इनस्टाग्राम के आई.डी का स्क्रीन शॉट की छायाचित्र एवं विडीयों संलग्न भेजते हुये निर्देश दिया जाता है कि इनस्टाग्राम के आई.डी के संचालक का जाँच कराते हुये वन्यजीव अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरात्मक कानूनी कार्रवाई करते हुये कृत कार्रवाई से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब प्रमंडलीय कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

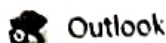
अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

 05/12/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी
बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया।





Outlook

Request for punitive action against individuals involved in unlawful capture and abuse of a marsh crocodile, in flagrant violation of the Wildlife Protection Act, 1972.

From Ishani Rathee <irathee@petaindia.org>

Date Mon 12/1/2025 2:42 PM

To dfo.bth@gmail.com <dfo.bth@gmail.com>; dfobettiah-bih@gov.in <dfobettiah-bih@gov.in>
Cc cfbettiah-bih@gov.in <cfbettiah-bih@gov.in>; cfwildlifebihar@yahoo.co.in <cfwildlifebihar@yahoo.co.in>;
cwlwbihar@rediffmail.com <cwlwbihar@rediffmail.com>; apccfcwlv-bih@gov.in <apccfcwlv-bih@gov.in>;
pccfbihar@gmail.com <pccfbihar@gmail.com>; pccfhoff-bih@gov.in <pccfhoff-bih@gov.in>; mefcc@gov.in
<mefcc@gov.in>; sp-bettiah-bih@nic.in <sp-bettiah-bih@nic.in>; dm-bettiah.bih@nic.in <dm-
bettiah.bih@nic.in>; Animal Welfare Board of India <support-awbi@gov.in>; sk.dutta@nic.in
<sk.dutta@nic.in>; prachijain.28@gov.in <prachijain.28@gov.in>

2 attachments (9 MB)

Annexure II - screenrecording of two videos revealing the crime.mp4; Annexure I - Screenshot of IG account.png;

Dear Sri Kumar ji,

I am writing on behalf of People for the Ethical Treatment of Animals India (PETA India), the country's best known animal rights organization, to bring to your attention and request urgent action in a deeply shocking and disturbing matter regarding the hunting of a Marsh crocodile (*Crocodylus Palustris*), a species protected under Schedule I of the Wildlife (Protection) Act (WPA), 1972, by a group reportedly from Bettiah, West Champaran district of Bihar, in blatant violation of the Act.

Our office is inundated with emails and calls regarding a disturbing video that has gone viral on social media. An Instagram account [@alokkumar4507](#) (Screenshot attached as Annexure I), published a video showing a marsh crocodile being captured and tied to a motorcycle with a rope. The crocodile was then dragged through a field by two individuals seen operating the motorcycle, while a crowd cheered and hooted in the background. One of the accused persons operating the motorcycle is referred to as "Mukhiya" in the video by the person recording it. Another video published on the account shows a compilation of selfies taken by the accused account owner with the crocodile.

For your perusal, the videos are attached to this email as Annexure II. Additionally, the videos can be viewed on the accused's Instagram account using the following links: [Video 1](#) and [Video 2](#).

The license plate number of the motorcycle used to commit the above-mentioned act is BR 22 BJ 9232 (Annexure 1). The vehicle is registered in the Bettiah Regional Transport Office of Bihar. This makes it clear that the accused is a resident of Bettiah, West Champaran District.

As you may know, Section 9 of the WPA prohibits hunting of a protected wild animal or captive animal. Section 2(16) of the WPA defines "hunting" and includes killing, injuring, trapping, capturing or even attempting to do so.

As per Section 39(1) of the WPA, all wild animals hunted and the meat derived from any wild animal are the property of the State government, and as per Section 39(3), no person, without the previous permission in writing of the Chief Wildlife Warden or the authorised officer, can acquire or keep in his possession, custody, control, destroy or damage any wild animal.

Section 50 of the WPA empowers forest officers and police officers not below the rank of Sub Inspector to seize any captive or wild animal in respect of which an offence under the act is committed.

By injuring and killing a wild animal protected under Schedule I of the WPA, 1972, the accused are in clear violation of various provisions of the WPA, 1972, listed hereinabove and are liable to be punished under Section 51 of the WPA, 1972, which stipulates a jail term of at least three years which may extend to seven years and a fine of at least ₹25,000.

In light of the legal implications surrounding this case, we urge that this matter be treated urgently. We implore you to promptly register a preliminary offence report, wildlife offence report, or forest offence report against all accused involved in this heinous crime under Sections 9, 39, and 51 of the WPA, 1972, along with any other relevant legal provisions that may apply.

We recommend that comprehensive efforts be made to locate the accused using the vehicle license plate number provided. Should the need arise, we request that police assistance be sought to locate and properly identify the accused, ensuring appropriate legal action can be pursued.

Additionally, we urge you to take immediate steps to determine whether the wild animal in question is alive or deceased. It is crucial for the forest division to check if the accused persons involved possess any other protected wildlife. If additional animals are found, they should be rescued immediately, rehabilitated at a reputable rescue center, or released into their natural habitat after a medical examination.

I look forward to your action and response. Thank you in advance for your attention to this important matter. Please do update us regarding the action taken in this regard.

I may be contacted at irathee@petaindia.org or at 9958832994.

PETA
INDIA

Thanks & Regards,

Ishani Rathee

Cruelty Response Coordinator

PETA India

Subscribe E-news | YouTube | Instagram | X (Formerly Twitter)

Join us on Facebook in Hindi | in English



aalokkumar4507 ...

Babulohar Ak

269 posts 178 followers 20 following

@aalokkumar4507

Follow

